न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

प्रकरण
अपील संख्या :– 86/2019

श्रीमती अनिता देवी पत्नी रामनिवास यादव उम्र ..... वर्ष जाति अहीर निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. गिरधारी पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी ढाणी खुडालिया वाली खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

गैर निगरानीकार

1. ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. सचिव ग्राम पंचायत खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

तरतीबी गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश/निर्णय दिनांक 30/9/2019 अपील संख्या 15/16 स्थाई वित्त व प्रशासन पंचायश्त समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 17.9.2021

निगरानीकर्त्ता द्वारा अपील संख्या 15/16 आदेश दिनांक 30/9/2019 के विरूद्ध पेश की है, जिसमें संक्षेप मे तथ्य निगरानीकर्त्ता द्वारा इस प्रकार पेश किये है कि ग्राम पंचायत खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा निगरानीकर्त्ता को ख.नं. 1828/1 वाके ग्राम खोरी में आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में रियायती दर से संकल्प संख्या 03 दिनांक 20/10/2014 की अनुपालना में दिनांक 30/10/2014 को जारी किया गया. जिसे निगरानी/आदेश के द्वारा स्थाई एवं प्रशासन वित्त. समिति पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा खारिज फरमाया दिया गया, जिससे व्यथित होकर सुदृढ आधारों पर निगरानी पेश है।

1. यह है कि निगरानी आदेश दिनांक 30/9/2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य विधि विधान के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा सभी कानूनी पूर्ती करने के उपरान्त निगरानीकर्त्ता को भूमि का पट्टा जारी किया गया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की ओर गौर नहीं कर अहम भूल कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 30/9/2019 में पंचायत प्रसार अधिकारी की जाँच रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है, जिसमें ग्राम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे नियम विरूद्व बताये गये है, जो गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है, जिसमें बताया गया है कि पट्टा पत्रावली में नजरी नक्शा व आपत्ति नोटिस की प्रति नहीं पायी गयी तथा पंचगण् निरीक्षण रिपोर्ट में भू–खण्ड की सीमाए व लम्बाई चौडाई का उल्लेख वही पाया गया जबकि ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावलियों में व पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में कानूनन सभी दस्तावेजात् उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत की पत्रावली तलब कर उसका अवलोकन किये बिना ही झूठी जाँच रिपोर्ट पर विश्वास कर निगरानी आदेश पारित कर दिया जो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किया है कि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा ख.नं. 1828/1 की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चारागाह है एवं आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित है, में पट्टे जारी किये गये है। ख.नं. 1828/1 की आबादी भूमि में परिवर्तित हो चुके है तथा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में आबादी भूमि की तरमीम हो चुकी थी। मात्र जमाबंदी में सहवन से चारागाह भूमि हटी नहीं थी जो कि राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि रही है, परन्तु उक्त भूमि आबादी प्रयोजनार्थ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है तथा आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का कानूनी अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है। इसलिए राजस्व त्रुटि के आधार पर पट्टे खारिज नहीं किये जा सकते है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा नोटिस जारी होने की प्रथम तारीख पेशी पर ही निर्णय पारित कर दिया, जबकि न्याय का प्राकृतिक सिद्वान्त है कि पक्षकारों को सुनवायी व उनको अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु उक्त प्रकरण में सुनवायी व साक्ष्य का कतई अवसर प्रदान नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में निर्णय पारित कर दिया. जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने वाले अपीलार्थी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त अपीलार्थी की अपील कानूनन चलने योग्य नहीं थी साथ ही अपील मियाद में नहीं होने के कारण धारा–5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। राजनैतिक दवाब में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाकर कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आस्त किये जाने योग्य है।

7. यह है निगरानी उचित कोर्ट फीस पर पेश है जो श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर मियाद है। अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जावें तथा अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा के निर्णय दिनांक 30/9/2019 को खारिज फरमावें।

8. निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी पेश करने पर प्रकरण में रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्त्ता को तल्बी हेतु

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

सम्मन नोटिस पेश किये बाद तामील होने पर गैर निगरानीकर्त्ता की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित आयें तथा प्रकरण में जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

9. गैर निगरानीकर्त्ता की ओर से जरिये वकील जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया है कि हाल आराजी ख.नं. 1828/1 ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा में दिनांक 20/10/2014 को ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पट्टा जारी करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया बल्कि ग्राम पंचायत खोरी के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ने सार्वजनिक हित व ग्राम पंचायत खोरी को नुकसान पहुंचाने की नियत से बिना किसी हक व अधिकार के स्वयं को लाभ एवं अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की नियत से बिना पात्र लोगों को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टे जारी करने का प्रस्ताव लिया जो गलत एवं नियम विरूद्ध है। भूमि का नक्शा नगर नियोजन से अनुमोदन ही नहीं कराया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि पूर्ण संस्था के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्त्ता को कभी कब्जा भी नहीं सम्भलाया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना अधिकार के गलत जारी पट्टों को स्थायी वित व प्रशासन पंचायत समिति शाहपुरा ने बाद जाँच व निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का असवर देकर खारिज किया है जो बिलकुल सही है। निगरानीकर्त्ता द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के गलत तथ्यों पर यह निगरानी पेश की है, जिसको कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से पट्टा निरस्त फरमाया है। राजस्थान पंचायत राज नियम 158 के अन्तर्गत भूमियों को कमजोर वर्ग को आवंटन करने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि जिसके पास स्वयं के ग्रहस्थान/गृह नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित करती है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज से अधिक की भूमि के पट्टे जिसके पास हपले से ही ग्रहस्थान/गृह होने पर भी पट्टेजारी किये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील को सही खारिज किया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में ना तो कोई भूमि का उल्लेख है ना ही लम्बाई चौडाई का उल्लेख है। इसके अलावा दिनांक 20/8/2014 के प्रस्ताव संख्या 02 में निरीक्षण करने हेतु गठित कमेटी के किसी भी सदस्य का अंकन नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया पट्टा सही निरस्त किया है। हाल आराजी ख.नं. 1828/1 रकबा 50 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए आरक्षित है। भूमि का वर्गीकरण चारागाह ही है, जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्रा.पं. को अपात्र व्यक्तियों को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित कर अवैधानिक जारी पट्टे को निरस्त किया है। निगरानीकर्त्ता का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत होने पर निगरानीकर्त्ता को नियमानुसार नोटिस जारी कर पूर्ण सुनवायी का अवसर प्रदान कर ग्रा.पं. द्वारा बिना अधिकार जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने का निर्णय पारित किया है जो विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सचिव

द्वारा स्वयं को नाजायज लाभ प्राप्त करने व सार्वजनिक हित एवं सम्पत्ति को नुकशान पहुंचाने की नियत से पंचायत की बेश कीमती भूमि हडप करने के आशय से उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की है। प्रस्तुत प्रकरण में सार्वजनिक हित है। इसलिए प्रत्येक कार्यवाही नागरिक को अधिकार प्राप्त है। गैर निगरानीकर्त्ता द्वारा पट्टा की नकल दिनांक 05/01/2016 की प्राप्त कर अधिनस्थ न्यायालय में तारीख जानकारी में अपील अन्दर मियाद पेश है। साथ ही प्रस्तुत जवाब के मजीद बयान में यह वर्णित किया है कि ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा मे मार्च 2016 से परमान्द गौशाला सेवा समिति जिला जयपुर के नाम से संस्था गौवंश के पालन पोषण रख–रखाव व देखभाल व उनके विकास के लिए ग्रामवासियों द्वारा हाल आराजी ख.नं. 1828/1 रकबा 0.50 है0 व 1828 रकबा 2.50 है0 गौशाला की भूमि है, जिस पर गौशाला संचालित है, जिसमें वर्तमान में 240 गाये हैं । उक्त गौशाला समिति के नाम से क्रमांक एस.एन.सी. ओ.ओ.सी 2019/जयपुर/104706 दिनांक 30/7/2019 द्वारा राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधि. 1958 (राज अधि.सं. 28) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका अध्यक्ष हरिओमदास है। उक्त रजिस्टर्ड संस्था को पशुधन विभाग द्वारा अपने पत्रांक19837 दिनांक 25/9/2017 द्वारा कोड जी.पी 16/के.एच–1 आवंटित किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 14/8/2019 को गायों की पुष्टि रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त गौशाला के लिए भूमि आवंटन बाबत ग्राम पंचायत खोरी द्वारा भी भूमि आवंटन करने में ग्राम पंचायत खोरी को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को क्रमांक 190/2019 दिनांक 26/7/2019 को जारी किया है। निगरानीकर्त्ता का प्रश्नगत भूमि पर इसके किसी भी भाग पर कभी कोई कब्जा वरवक्त जारी करने पट्टा या इससे पूर्व या उसके पश्चात् नहीं रहा है, जबकि निगरानीकर्त्ता के पास ग्राम में अन्य भूमि व मकानात् है। अतः निगरानी खारिज फरमावें।

10. बहस सुनी गयी। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत खोरी तहसील शाहपुरा द्वारा आ.ख.नं. 1828/1 वाके ग्राम खोरी में आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में रियायती दर से पट्टा संकल्प संख्या 3 दिनांक 20/10/2014 की अनुपालना में दिनांक 30/10/2014 को जारी किया गया था, जिसे स्थायी एवं प्रशासन वित समिति पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा दिनांक 30/9/2019 को पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति द्वारा पारित निर्णय में वर्णित है कि ग्राम पंचायत द्वारा 16 पट्टे जारी किये है, जो पंचायत प्रसार अधिकारी ने गलत होना बताया है। उक्त खसरा नम्बर 1828/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए है, जिसमें भूमि का वर्गीकरण चारागाह है। निर्णय में अपीलार्थी का उक्त कथन न्याय संगत नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा नियमानुसार पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत खोरी द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20/10/2014 को पारित निर्णय की अनुपालना में जारी पट्टों को निरस्त करने का

अति. जिला ...

निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है, जो नियम विरूद्व है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में आबादी भूमि की तरमीम हो चुकी थी मात्र जमाबंदी में सहवन से चारागाह भूमि का वर्गीकरण हटा नहीं । उक्त भूमि आबादी प्रयोजनार्थ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी थी। आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का कानूनी अधिकार ग्राम पंचायत को है। प्रकरण में निगरानीकर्त्ता का सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम तारीख पर ही राजनैतिक प्रभाव से निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में अपीलार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। इसलिए उक्त अपील कानून चलने योग्य नहीं थी तथा प्रस्तुत अपील मियाद बहार पेश की थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किये । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30/9/2019 को खारिज फरमाया जावें तथा निगरानीकर्त्ता की निगरानी को स्वीकार करने के आदेश फरमावें।

11. बहस गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के वकील की सुनी गयी। वकील गैर निगरानीकर्त्ता ने बहस में प्रस्तुत जवाब के वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि हाल आराजी ख.नं. 1828/1 ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा में दिनांक 20/10/2014 को ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पट्टा जारी करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सचिव द्वारा अपात्र लोगों को तथा अपने चहेतों को विधिक प्रकिया अपनाये बिना पट्टे जारी कर दिये। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का नक्शा नगर नियोजन से अनुमोदन कराये बिना ही उक्त पट्टे जारी किये गये है, जबकि उक्त भूमि पर निगरानीकर्त्ता को कभी कब्जा भी नहीं रहा है। निगरानीकर्त्ता द्वारा बिना हक एवं अधिकार के निगरानी पेश की है, जिसको उनको कोई अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि पूर्ण संस्था के लिए आरक्षित है। राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्ग को भूमि आवंटन करने का प्रावधान है, जिसमें 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि जिसके पास गृह स्थान/गृह नहीं है उनको रियायती दर पर भूमि आवंटित करती है, लेकिन ग्राम पंचायत खोरी द्वारा 150 वर्गगज से अधिक भूमि के पट्टे जारी कर दिये, जबकि पट्टेधारी के पास पूर्व से ही गृहस्थान/गृह मौजूद है। हाल आराजी ख.नं. 1828/1 रकबा 0.50 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए आरक्षित है। भूमि का वर्गीकरण चारागाह है, जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व जारी किये गये पट्टे को खारिज किया गया है। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत बहस मे कथन किया है कि निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि निगरानीकर्त्ता की तल्बी हेतु नियमानुसार नोटिस जारी किये जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। ग्राम खोरी में मार्च 2016 से परमानन्द गौशाला सेवा समिति जिला जयपुर के नाम से गौशाला के पालन पोषण रख–रखाव व

देखभाल व उनके विकास के लिए ग्रामवासियों द्वारा हाल आराजी ख.नं. 1828/1 रकबा 0.50 हैक्टर व 1828 रकबा 2.50 हैक्टर गौशाला की भूमि है, जो रजिस्टर्ड संस्था है जिसका अध्यक्ष हरिओमदास है। उक्त रजिस्टर्ड संस्था को पशुपालन विभाग द्वारा आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायत खोरी को उक्त गौशाला हेतु भूमि आवंटन बाबत कोई आपत्ति नही है। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी के पत्र जारी किया है। निगरानीकर्त्ता का प्रश्नगत भूमि या इसके किसी भी भाग पर कभी कोई कब्जा वरवक्त पट्टा जारी करने या इससे पूर्व व उसके पश्चात् नहीं रहा है बल्कि निगरानीकर्त्ता के पास ग्राम में अन्य भूमि व मकानात् है। निगरानीकर्त्ता किसी भी प्रकार के पात्रता नहीं रखता है। इसलिए निगरानी खारिज फरमावें।

12. उभयपक्ष बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा जयपुर द्वारा अपील संख्या 15/2016 गिरधारीलाल गुर्जर बनाम ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच ग्रा.पं. खोरी का निर्णय दिनांक 30/9/2019 को पारित किया जाना पाया गया। उक्त निर्णय में ग्रा.पं. खोरी द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20/10/2014 की अनुपालना में पट्टों को निरस्त करने का निर्णय पारित किया है साथ ही ग्रा.पं. खोरी द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 निर्णय दिनांक 20/10/2014 को अपास्त किया जाना पाया गया। ग्राम खोरी के ख.नं. 1828/1 रकबा 0.50 हैक्टर आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित हिस्सा संस्था के लिए आरक्षित है। उक्त भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने नाम आबादी भूमि दर्ज करानी चाहिए थी तथा नक्शे में तरमीम करायी जाकर नक्शा नगर नियोजन से अनुमोदन कराकर पंचायती राज अधिनियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों जिनके पास ग्रह स्थान/गृह नहीं है, उनको रियायती दर पर 150 वर्गगज के पट्टे जारी करने चाहिए थे, जबकि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा अपात्र व्यक्तियों पट्टे जारी किये है, जिनके पास अन्य भूमियां व मकानात् है। पट्टेधारियों को कभी कब्जा उक्त भूमि पर नहीं रहा है। उक्त भूमि का ग्राम पंचायत खोरी का स्वामित्व नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत को निगरानीकर्त्ता के हक में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था । ना ही पट्टे जारी करने से पूर्व पट्टे जारी करने बाबत नोटिफिकेशन जारी किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पत्रांक 1717 दिनांक 30/7/2019 के द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पंचायत प्रसाद अधिकारी से जाँच करायी गयी प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी कि उक्त पट्टा ख.नं. 1828/1 में जारी किये गये है, जिसकी भूमि की किस्म आबादी प्रयोजनार्थ हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए है। इस भूमि का वर्गीकरण चारागाह रकबा 0.50 हैक्टर है। उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित भूमि पर पट्टा जारी करना न्याय संगत नहीं है। उक्त जारी पट्टा नियम विरूद्व जारी किये है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा निगरानीकर्त्ता के पट्टे को खारिज किया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। उक्त भूमि पर निगरानीकर्त्ता का कभी कब्जा किसी भी भाग पर नहीं रहा है। उक्त

भूमि बाबत परमानन्द गौशाला समिति खोरी हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को भूमि आवंटन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। वकील गैर निगरानीकर्त्ता द्वारा जाहिर किया है कि आ.ख.नं. 1828/1 रकबा 0.50 व 1828 रकबा 2.50 है0 गौशाला की भूमि है, जिस पर गौशाला संचालित है। निगरानीकर्त्ता का उक्त भूमि पर वरवक्त पट्टा जारी करने व इससे पूर्व तथा इसके बाद कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत खोरी द्वारा क्षेत्राधिकार से बहार जाकर निगरानीकर्त्ता को पट्टा जारी किया है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/9/2019 को ग्राम पंचायत खोरी द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20/10/2014 की अनुपालना में जारी पट्टे को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है, जो विधि अनुरूप एवं न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकर्त्ता की निगरानी अस्वीकार कर निगरानी खारिज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

13. निर्णय आज दिनांक 17.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)